

इसी प्रकार माननीय शीर्ष न्यायालय ने 124 एस.टी.सी. 562 में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि -

".....the amount received by the appellant from the compensation pool. It is the case of the appellant that in the show cause notices, it is stated that the amount so received is to form part of the sale price and, therefore, would be includible in its taxable turnover. It is, however, contended that even if it be assumed that the amount received from the compensation pool would form part of the sale price, but, as the amount is received in connection with the sales made by the appellant to another oil company, namely, IOCL, then, by virtue of Explanation 1 referred to hereinabove, the transaction is not to be regarded as the first sale within the State. The amount received by the appellant as a sale consideration from out of the pool relateable to the said sale would, therefore, not be regarded as part of the taxable turnover at all....."

प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रत्यर्थी को विक्रेता के अतिरिक्त मैसर्स TATL द्वारा प्रदत्त सब्सिडी को विक्रय मूल्य का भाग मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण अविधिक रूप से किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई विधिक भूल नहीं की है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी के प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार मैसर्स TATL द्वारा प्रदत्त सब्सिडी को विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारीके आदेशों को अपास्त किया जाता है।

जहां तक अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है एवं वह मासिक कर दाता की श्रेणी में नहीं आता है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 58 के सम्बन्ध में कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर पुनः न्याय संगत एवं विधिअनुसार आदेश पारित करें।

फलस्वरूप अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 866/2010/अजमेर

मैसर्स सुमित कम्युनिकेशन
अजमेर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-ए, अजमेर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.पी.माहेश्वरी
सी.ए.
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 8.05.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 119/09-10/वैट/अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.03.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार की है।


प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2006-07 का अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.3.2009 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधि के दौरान उसके द्वारा बिक्रीत माल की उत्पादक कम्पनी मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (TATSL) द्वारा प्रमोशन स्कीम के तहत रूपये 1,35,72,032/- की सब्सिडी प्रदान की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी को उक्त राशि के प्राप्त होने की जानकारी विक्रय से पूर्व थी एवं वेट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार व्यवहारी को मिलने वाली सब्सिडी भी consideration for sale होने के कारण विक्रय मूल्य का भाग है, इसलिए उक्त सब्सिडी राशि रूपये 1,35,72,032/- पर चुकाये गये आगम कर रु. 5,42,881/- की आई.टी.सी.को अमान्य किया है। इसके अतिरिक्त त्रैमासिक बिक्री विवरण पत्र देरी से पेश करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रु. 15,830/- आरोपित की है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अस्वीकार की गई आई.टी.सी. एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15.03.2010 से अपील अस्वीकार की है, जिसके विरुद्ध यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वैट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार व्यवहारी को विक्रेता से अतिरिक्त स्रोत से मिलने वाली सब्सिडी विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब्सिडी बिक्रीत माल का consideration नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल (वैट)रिवीजन नम्बर 208/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-जालौर बनाम मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, भीनमाल में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2013 एवं कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1817/2011/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर बनाम मैसर्स कुशल ट्रेडर्स, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2013 को उद्धृत किया है, जिसमें 124 एस.टी.सी. 586 (sc) नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी कुड्डलोर, एवं 124 एस.टी.सी. 562 (sc) मद्रास रिफाईनरी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया गया है, को उद्धरित कर कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्य एक समान होने से हस्तगत प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से आच्छादित(कवर्ड) है।

उन्होंने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पूर्ण खरीद पर विक्रेता को वैट भुगतान किया जाता है। विक्रेता द्वारा अपीलार्थी को क्रेडिट नोट जारी नहीं किया जाता, न ही चुकाये गये वैट को लौटाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को तृतीय पक्ष मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि० द्वारा सब्सिडी दिये जाने को विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार कर त्रुटि की है।

उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत मासिक कर दाता की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अधिकतम शास्ति रु. 500/- आरोपित की जा सकती है। उन्होंने उक्त कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्धृति न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति अपास्त करने का निवेदन किया। उन्होंने उक्त आधारों पर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अस्वीकार की गई आई.टी.सी.को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने में विधिक भूल नहीं की गई है। उनका कथन है कि व्यवहारी जानबूझकर विक्रय मूल्य कम वसूल कर सब्सिडी द्वारा विक्रय मूल्य का पुनर्भरण कर रहा है तथा उस पर कर अदा नहीं किया जा रहा है। सब्सिडी विक्रय मूल्य का भाग है इसलिए अपीलीय अधिकारी ने कर को यथावत रखा है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व सुनवाई



का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है किन्तु सुनवाई के दौरान वह मासिक कर कर दाता नहीं है, इसके सम्बन्ध में कोई सबूत पेश नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी के रेकॉर्ड व उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने क्रेताओं को बिक्रीत माल के विषय में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, बल्कि प्रत्यर्थी को उसके विक्रेता मैसर्स ड्राईव इण्डिया कॉम के अतिरिक्त मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (TATSL) द्वारा प्रदत्त सब्सिडी विवादित की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स टाटा इण्डिकॉम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, जो कि प्रोडक्ट्स को प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में अपने प्रोडक्ट्स की बाजार में बिक्री बढ़े इसलिए कम्पनी विक्रेताओं को प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी दी जाती है। अपीलार्थी -व्यवहारी ने खरीद मूल्य पर प्राप्त सब्सिडी पर आगत कर का भुगतान किया, जिसका अपीलार्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आई टी सी क्लेम चाहा है अधिनियमकी धारा 18 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी ने प्राप्त सब्सिडी रू.1,35,72,032/- पर 4 प्रतिशत की दर से रू. 5,42,881/-का आगत कर का भुगतान किया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने इनपुट रिवर्स किया।

अपीलार्थी व्यवहारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल (वैट)रिवीजन नम्बर 208/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जालौर बनाम मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, भीनमाल में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2013 उद्धृत किया है, जिका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

".....The learned Tax Board has also concluded in clear and unequivocal terms that the assessee has already paid the requisite tax on the purchase price.

The finding of the learned Tax Board is also clear and unequivocal that assessee trader has reduced the purchase by minimising the trade discount. The learned Tax Board has also examined the newly added Section 18(3A) of the Act of 2003 which was enforced w.e.f. 09.03.2011 and concluded that the learned first appellate authority has not properly thrashed out the matter in the light of prevailing law on the subject i.e., anterior to 09-03-2011. With these affirmative conclusions, the learned Tax Board has found the order of first appellate authority infirm and upset the same."



अपीलार्थी व्यवहारी ने राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1817/2011/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर बनाम मैसर्स कुशल ट्रेडर्स, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2013 को उद्धृत किया है, जिसमें 124 एस.टी.सी. 586 (sc) नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी कुड्डलोर, एवं 124 एस.टी.सी. 562 (sc) मद्रास रिफाईनरी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का हवाला दिया गया है। माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय के तथ्य एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्य एक समान हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1817/2011/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर बनाम मैसर्स कुशल ट्रेडर्स, जोधपुर में निम्न प्रकार मत प्रतिपादित किया है, जिसको उद्धरित किया जाना समीचीन है :-


“प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स ड्राईव इण्डिया कॉम से Mobile Handsets & SIM/RVIM Cards (Starter kit etc.) क्रय करता है तथा मैसर्स TSL से Telecom services for selling its services products such as starters kits/RCVS क्रय करता है। प्रत्यर्थी मैसर्स ड्राईव इण्डिया कॉम से जो हैंडसेट्स क्रय करता है, उसे क्रय मूल्य से कम पर विक्रय करता है तथा अन्तर मूल्य को मैसर्स TSL से सब्सिडी के रूप में प्राप्त करता है। कर निर्धारण अधिकारी अनुसार यह सब्सिडी विक्रय मूल्य का भाग है। विक्रय मूल्य की परिभाषा वेट अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विहित की गई है, जो कि इस प्रकार है :-

2(36) “sale price” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of



freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

उक्त परिभाषा अनुसार विक्रेता को जो राशि माल के मूल्य के रूप में क्रेता से प्राप्त होती है, या होने योग्य है, केवल वही विक्रय मूल्य का भाग है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2001) 124 एस.टी.सी. 586 sc) नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी कुड्डलोर में जहां फर्टीलाइजर पर सब्सिडी का प्रकरण विचाराधीन था, के सम्बन्ध में कॉन्ट्रैक्ट आफ सेल^{में} वर्णित क्रेता एवं विक्रेता से अलग तीसरे पक्ष से प्राप्त डी हार्स राशि के सन्दर्भ में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि (Para-15) —

15. It appears to us that the aforesaid observations are clearly applicable in the present case. Here also, there is no statutory basis for the grant of subsidy; and the amount was received by the appellant pursuant to the administrative decision taken by the Central Government. Furthermore, the subsidy is not traceable to any agreement, direct or indirect, between the manufacturer and the purchaser of fertilizer. What was payable in law as a sale price for fertilizer was the amount or the rate fixed under the Fertilizer (Control) Order and no more. This position is also made clear by the observations of this Court in M/S. George Oakes (P.) Ltd. v. State of Madras, [1962] 2 SCR 570, wherein a Constitution Bench observed that the expression turnover means the aggregate amount for which goods are bought or sold, whether for cash or for deferred payment or other valuable consideration, and when a sale attracts purchase tax and the tax is passed on to the consumer, what the buyer has to pay for the goods includes the tax as well and the aggregate amount so paid would fall within the definition of turnover. At page 580, it was observed that "so far as the purchaser is concerned, he pays for the goods what the seller demands, viz., price even though it may include tax. That is the whole consideration for the sale and there is no reason why the whole amount paid to the seller by the purchaser should not be treated as the consideration for the sale and included in the turnover." It is clear from the aforesaid observations that it is that amount which flows from the purchaser to the seller which alone would form part of the turnover of the seller. Any sum received dehors the contract of sale from another entity, whether it be Government or any one else, cannot be regarded as being an amount which would form part of the sale price on which tax is payable.

